उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-6/2016/जी-2-143 / दस-2016-200/77टी0सी0
लखनऊः दिनांक : 19 अगस्त , 2016

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- **सेवानिवृत्त के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदलें में धनराशि के नकद भुगतान।**

सेवानिवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के भुगतान विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1687/दस-83-200-77 टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 1983 के प्रस्तर-1(1) में ऐसे सरकारी सेवकों को, जो निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा जिनके विरूद्ध तत्समय विभागीय कार्यवाही प्रचलित रहती हैं, के संबंध में दिया गया प्राविधान निम्नवत् हैः-

> ''जब कोई सरकारी सेवक निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह अपने विरूद्ध कार्यवाही की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को अपने अवकाश लेखें में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान के लाभ का पात्र होगा, यदि उसे सेवा में बहाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह अभिधारित करता है कि उसका निलम्बन पूर्णतया अनुचित था।''

2- इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 जुलाई, 1983 के प्रस्तर-1(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

> **''अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी उस सरकारी सेवक के खाते में अवशेष अर्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है जो निलम्बनाधीन रहते हुए अथवा अपने विरूद्ध किसी अनुशासनिक कार्यवाही अथवा दाण्डिक कार्यवाही के लम्बित रहते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाता है, यदि सक्षम प्राधिकारी की दृष्टि में इस प्रकार की कार्यवाहियों की समाप्ति पर सरकारी सेवक से कोई धनराशि वसूलनीय होने की सम्भावना हो। ऐसी**

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यवाहियो की समाप्ति पर संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक इस प्रकार रोकी गयी धनराशि में से सरकारी देय धनराशि के समायोजन के बाद अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, का भुगतान पाने का पात्र होगा।"

3- शासनादेश संख्या-सा-4-1687/दस-83-200-77 टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 1983 की शेष शर्तें / प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तारीख से प्रभावी होगा।

अजय अग्रवाल
सचिव

संख्या-6/2016/जी-2-143(1) / दस-2016-200/77टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(5) निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in